यू.एन. राजस्थान में पर्यटन, कुपोषण, महिलाओं के क्षेत्र में सहयोग करेगा

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की यू.एन. प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा

■ पर्यटन कला, संस्कृति, हैरिटेज, एनीमिया, कुपोषण, पेयजल, महिला सशक्तिकरण आदि विषयों पर कार्य योजना बनेगी।

जयपुर, 2 फरवरी (का.सं.)। उप मुख्यमंत्री तथा पर्यटन और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को युनाइटेड नेशन्स (यू.एन.) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने यू.एन. रैज़िडैंट कोऑर्डिनेटर शोम्बी शार्प, यूनिसेफ राजस्थान की चीफ फील्ड ऑफिसर इसाबेल बारडेम तथा यू.एन. रैज़िडैंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ राधिका कॉल बत्रा के साथ बैठक की। बैठक में यू एन और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से महिला सशक्तिकरण, एनीमिया, कुपोषण, पेयजल, प्रदेश के पर्यटन, कला, संस्कृति, हेरिटेज को बढ़ावा देने की सम्भावनाओं पर चर्चा की गई। आगामी दिनों में अगले स्तर की वार्ता कर कार्ययोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

दिया कुमारी बताया कि, केंद्र व राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी बनाने के लिए कार्य किया जायेगा। एनीमिया ग्रस्त एवं कुपोषण ग्रस्त पॉकेट्स पर फोकस किया जायेगा। इसके साथ ही राजस्थान में पदस्थापित दस हजार साथिनों का क्षमतावर्धन किया जायेगा तथा साथिनों के जॉब रोल को फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में सुदृढ़ किया जायेगा। बैठक में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल गोल को लक्षित कर कार्य हेतु चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि, राजस्थान की शानदार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कला, संस्कृति, हस्त कला आदि को आगे बढ़ाना जरुरी है।

आधुनिकीकरण के कारण कला संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत की अनदेखी हो रही है। विरासत को संरक्षण कैसे प्रदान किया जाए और इनको पर्यटन की दृष्टि से किस तरह आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की गई। यू एन प्रतिनिधियों से जिओ हेरिटेज साइट विकसित करने, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विकसित करने हेतु भी चर्चा हुई।

राहुल गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्यों में नहीं पहुंच सके थे वहां के लोगों से मिलने और उनसे बात करने के लिए हमने यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। आज भाजपा और आरएसएस के लोगों ने देश में नफरत और हिंसा फैला रखी है उसके खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। इस यात्रा के माध्यम से हम किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय को देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं।

सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि, भाजपा आरएसएस ने आपके द्वारा चुने हुए हमारे लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से झूठे मुकदमों में फंसा कर गिरफ्तार कराया और यहां सरकार गिराने की साजिश की थी वह पूरी तरह से सफल हो गई ।आज आपके प्यार और आशीर्वाद से आपके द्वारा चुनी हुई सरकार बरकरार है और आपके द्वार पर खड़ी है, हम आगे भी इनके षड्यंत्र के खिलाफ आपके साथ से लड़ते रहेंगे।

सरकार राज्य में एग्रो टूरिज़्म को प्रोत्साहन देगी- कृषि मंत्री

■ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि, शहरी लोग सुकून की तलाश में गांवों और खेतों का रूख कर रहे हैं।

■ डॉ. किरोड़ी लाल ने दुर्गापुरा के राजस्थान कृषि अनुसंधान में फसल संबंधी शोध कार्यों का अवलोकन किया और रूफटॉप फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही।

जयपुर, 2 फरवरी (का.सं.)। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि किसान आय बढ़ोतरी के लिए इन्टिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम (आई.एफ.एस.) और रूफटॉप फार्मिंग को प्रोत्साहित किया जायेगा, साथ ही, कृषि पर्यटन विकास की संभावनाएं भी तलाशी जायेंगी।

डॉ. मीणा ने शुक्रवार को राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में फसल शोध प्रक्षेत्र का अवलोकन किया और यह भी कहा कि, समय के साथ लोगों की जीवनशैली और खान-पान की आदतों में बड़ा बदलाव आया है। हर कोई स्ट्रैस से जूझ रहा है। शहरी लोग सुकून की तलाश में गांवों और किसानों के खेतों का रूख कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार राज्य में कृषि पर्यटन की संभावनाओं पर काम करेगी। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

उन्होंने संस्थान में गेहूं, जौ, सब्जी, चना आदि फसलों पर चल रहे अनुसंधान कार्यों को देखा। साथ ही, कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी भी प्राप्त की। कृषि उद्यानिकी मंत्री ने रूफटॉप फार्मिंग मॉडल का भी अवलोकन किया। इस मॉडल को देखकर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल खासे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि, रूफटॉप फार्मिंग को अपनाकर शहरी लोग रसायन मुक्त फल-सब्जी का उत्पादन ले सकते हैं। इससे पोषण स्तर में सुधार भी होगा और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।

इस मौके पर कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति डॉ. बलराज सिंह ने कहा कि, कोविड-19 के बाद से ही देश के महानगरों में रूफटॉप फार्मिंग और किचन गार्डनिंग का चलन बढ़ा है। इसका एक कारण फल-सब्जियों में कीटनाशक के अवशेष मिलना भी रहा है। शहरी क्षेत्र के लोगों का रूझान देखते हुए विश्वविद्यालय ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में रूफटॉप फार्मिंग का मॉडल तैयार किया है।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि,प्रदेश में कृषि पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वे जल्द ही पर्यटन मंत्री व उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को राजस्थान कृषि अनुसंधान केन्द्र का अवलोकन करवाएंगे।

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने रारी दुर्गापुरा में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित बागवानी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

तृणमूल के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुई हैं। पिछले पंचायत चुनाव में जीते एक प्रत्याशी को तृणमूल ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस के कई अन्य कार्यकर्ताओं को झांसा दिया जा रहा है कि, वे अपनी पार्टी छोड़कर तृणमूल में शामिल हो जाएं।

इसके साथ ही ममता की पार्टी ने मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करना शुरु कर दिया है। भाजपा नेता शुबेन्दू अधिकारी ने आज दावे से कहा कि, भाजपा कार्यकर्ताओं के मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है।

चंडीगढ़ मेयर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिणामों पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। ज्ञातव्य है कि महापौर चुनाव परिणाम में भाजपा के मनोज सोनकर को महापौर निर्वाचित घोषित किया गया था। आप पार्षद की तरफ से पैरवी कर रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में त्वरित सुनवाई का ज़िक्र चीफ जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने किया। पीठ ने कहा, कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे और इस पर गौर करेंगे।

दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग पर राज्यसभा में भारी हंगामा

■ लोकसभा में कर्नाटक के कांग्रेसी सांसद ने दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ पक्षपात के मुद्दे पर बोलते हुए यह टिप्पणी की थी।

■ राज्यसभा में यह मुद्दा उठाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले तो आपत्ति की फिर कहा कि, देश तोड़ने की बात अगर कोई करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

■ राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल ने यह मुद्दा उठाया था।

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 फरवरी। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सदन की बैठक शुरु होते ही कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश द्वारा की गई एक मांग का मुद्दा उठाया। सुरेश ने दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाने की मांग की थी। गोयल ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की मांग की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किए जाने के बाद डी.के. सुरेश ने केन्द्र सरकार पर फण्ड्स के अनुचित वितरण का आरोप लगाते हुए कहा था कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में अन्याय की भावना घर कर गई है।

खड़गे ने पहले तो लोकसभा सांसद से संबंधित मुद्दा उठाने पर आपत्ति जतायी, लेकिन बाद में कहा कि "यदि कोई भी देश तोड़ने की बात करता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक हैं और एक रहेंगे।"

संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने यह मुद्दा प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में उठाते हुए कांग्रेस संसदीय पार्टी की नेता सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। जोशी की मांग पर ना तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और ना ही शोर शराबा हुआ, क्योंकि मामला शुरुआत में राज्यसभा में उठा दिया गया था।

गोयल ने कांग्रेस सांसद पर आरोप लगाया कि जिस संविधान की शपथ उन्होंने ली है, उसी का उन्होंने उल्लंघन किया है। राज्यसभा में जब सभापति जगदीप धनखड़ ने जब यह कहा कि उस व्यक्ति के विरूद्ध भी मामला उठाया जा सकता है, जो सदन का सदस्य ना हो तो शोर शराबे की स्थिति बन गई।

वित्त मंत्री सीतारमण ने खड़गे की भर्त्सना करते हुए कहा कि हेमन्त सोरेन को ई.डी. द्वारा गिरफ्तार करने के बाद वह झारखंड के राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार पर प्रहार कर मुद्दे को डायवर्ट कर रहे हैं।

खड़गे ने कहा था कि गवर्नर ने संविधान की उपेक्षा की है और इसे लेकर इण्डिया गठबंधन के सांसदों ने सदन से वॉक आउट किया था। भ्रष्टाचार के कथित आरोपों में गिरफ्तार सोरेन का पक्ष लेने को लेकर गोयल ने खड़गे का उपहास किया और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं करती।

दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने हेमन्त सोरेन द्वारा दायर एक याचिका को रद्द करते हुए उनसे कहा कि वह चाहे तो हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। सोरेन ने शुरु में झारखण्ड हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन बाद में अपील को वापस लेकर ई.डी. की कार्रवाई को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।

'अमेरिका संरक्षणवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोजित एक पैनल डिस्कशन में कहा था कि "चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों (एफ.डी.आई.) में कमी आ रही है, लेकिन वहां की एफ.डी.आई. पर्याप्त गति से भारत नहीं आ रही है क्योंकि भारत में अमेरिकी कम्पनियों लिए लगाए गए अवरोधों का हटाने में नई दिल्ली विफल रहा है तथा ये निवेश वियतनाम जैसे देशों में चले गए।"

कांत ने पिछले वर्षों में हुए डिजीटल ट्रांसफॉर्मेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की एक खुशनुमा तस्वीर पेश की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछले पांच वर्षों में 40 मिलियन आवास आर 110 मिलियन शौचालय बनाए गए हैं, 253 मिलियन पेयजल कनैक्शन हैं, 253 मिलियन पेयजल कनैक्शन दिए गए हैं और 88 हजार किलोमीटर सड़कें निर्मित की गई हैं। कांत ने नैशनल अचीवमैंट सर्वे की हाल ही आई एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य, पोषण और सीखने की प्रक्रिया के लक्ष्यों में रहे कमतर परिणामों को एक ऐसी बड़ी चुनौती बताया।

उन्होंने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में इस चुनौती का समाधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निर्माण सैक्टर आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर कांत ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों में ऐसी असमानताएं और भी अधिक हैं।

लालसोट नगर पालिका चेयरमैन के उपचुनाव पर रोक

■ हाई कोर्ट ने निवर्तमान चेयरमैन रक्षा मिश्रा की याचिका पर उप चुनाव पर अंतरिम रोक के आदेश दिये।

जयपुर, 2 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद पर 4 फरवरी को होने वाले उप चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश निवर्तमान चेयरमैन, रक्षा मिश्रा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अंकित यादव ने अदालत को बताया कि, याचिकाकर्ता लालसोट नगर पालिका में चेयरमैन पद पर थीं। गत 12 जनवरी को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई कर उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्हें दस्तावेज नहीं दिए गए। इसके अलावा याचिकाकर्ता को अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण भी नहीं बताया गया।

याचिका में गुहार की गई है कि, चार फरवरी को चेयरमैन पद के लिए होने वाले उप चुनाव पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि, गत दिनों नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर नगर पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। इसके बाद 12 जनवरी, 2024 को रक्षा मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा दिया गया और 4 फरवरी को इस पद पर उप चुनाव कराना तय किया गया।

अन्ततोगत्वा चम्पई सोरेन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोरेन, छः बार विधानसभा के सदस्य रहे तथा हेमन्त सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री थे, उन्हें बुधवार को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का नेता चुना गया।

इसको लेकर मीडिया का एक वर्ग यह दावा कर रहा था कि चंपई सोरेन का मनोनयन इसलिए संभव हो सका क्योंकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमन्त सोरेन की पत्नी कल्पना को नेता बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि कल्पना सोरेन को चुनाव, राजनीति व प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। परन्तु ये सब अफवाहें थी जो भाजपा मुख्यालय द्वारा प्रचारित की जा रही थी।

हकीकत में भाजपा जे.एम.एम. की विधायक सीता सोरेन के सम्पर्क में थी जो हेमन्त सोरेन की भाभी हैं वह जे.एम.एम. को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं परन्तु उनके प्रयासों का गहरा झटका लगा।

सूत्रों का कहना है कि मोदी-शाह एवं भाजपा दो कारणों से रांची में अपने अनुकूल सरकार बनाना चाहते थे, सरकार प्रथम एक ऐसा प्रशासन हो जाता जिससे लोकसभा चुनावों में लाभ मिलता और दूसरे ऐसी सरकार होती तो वो मोदी-शाह के उद्योगपति मित्र के नेतृत्व वाली खनन लॉबी को फायदा पहुंचाती।

चंपई सोरेन के नाम पर सर्वसम्मति बनने के बाद, बुधवार शाम को सोरेन ने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से भेंट करने का प्रयास किया।

हालांकि, सोरेन जिनके साथ जे.एम.एम.के अनेक विधायक अनेक थे वो राज्यपाल राधाकृष्णन से मुलाकात नहीं कर पाए, नई दिल्ली में बैठे आकाओं से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें क्या कदम उठाना है। पर्दे के पीछे भाजपा साम, दाम, दंड भेद से समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही थी।

रांची में अटकलों का बाजार गर्म था कि भाजपा सरकार बनाने का दावा ठोकने की कोशिश कर रही है जबकि तथ्य यह है कि इसके पास बहुमत का दावा करने के लिए न तो पहले एम.एल.ए. थे और न ही अभी हैं।

इस चिंता ने जे.एम.एम.-कांग्रेस-आर.जे.डी. के एम.एल.ए. को एकजुट कर दिया और उन्हें झारखंड के बाहर अनाज स्थान पर भेजने का निर्णय लिया और कांग्रेस शासित प्रदेश में तेलंगाना भिजवाने का निर्णय लिया गया ताकि भाजपा द्वारा "खरीद-फरोख्त" करने से उन्हें बचाया जा सके।

यद्यपि, हैदराबाद भेजने के लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था की गई थी मौसम के कारण उनका विमान उड़ नहीं पाया और उन्हें पुलिस सुरक्षा में पास के सरकारी विश्राम गृह में ठहराया गया।

इस नाटक के बीच, चंपई सोरेन एवं राधाकृष्णन के बीच दूसरी बार मुलाकात हुई, इस दौरान एक बार पुनः राज्यपाल से अनुरोध किया कि उनके पास पूर्ण बहुमत है।

सोरेन ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि "इस समय कोई सरकार राज्य में नहीं है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हम आप से उम्मीद करते हैं कि आप एक लोकप्रिय सरकार के गठन हेतु शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएंगे।"

इस बार राधाकृष्णन ने उनका दावे मान लिया परन्तु उन्होंने पुनः अपने निर्णय को स्थगित कर दिया। उसके एक अन्य नाटकीय मोड़ आया, राज्यपाल ने चंपई सोरेन को कुछ घंटों बाद बुलाया और उन्हें सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित कर लिया।

सत्तारूढ़ जे.एम.एम.-कांग्रेस-आर.जे.डी. के 81 सदस्यीय सदन में कुल 47 एम.एल.ए. हैं। 47 में 29 जे.एम.एम. दल के हैं तथा 17 कांग्रेस से हैं एवं एक एम.एल.ए. आर.जे.डी. का है।

सदन में भाजपा के 25 विधायक और जे.एम.एस.यू. या ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के कुल तीन विधायक हैं। बची हुई शेष सीटें एन.सी.पी. और वामपंथी पार्टी दोनों के पास एक-एक सीट है।

सदन में तीन निर्दलीय विधायक भी हैं। यदि चंपई सोरेन के पीछे विधायक कटिबद्ध रहते हैं तो सोरेन को बहुमत साबित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि उपरोक्त में कोई भी छः विधायक साथ छोड़ देते हैं तो भाजपा जो विपक्ष में है उसे लोकसभा चुनावों से ठीक कुछ माह पूर्व सत्ता में आने का द्वार खुल जाएगा।

चंपई सोरेन ने कहा, "हम सब एकजुट है। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को जमानत के लिये पहले हाई कोर्ट जाने को कहा

नयी दिल्ली, 02 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ ने याचिका खारिज करते हुए सोरेन को अपनी जमानत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा। सोरेन को झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को गिरफ्तार किया था।

कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर निर्णय हो ताकि मुकदमे बाजी कम हो

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिये।

जयपुर, 2 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों के कर्मचारियों के सेवा सहित अन्य मुद्दों से जुड़े अभ्यावेदन तय करने में होने वाली देरी को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि, वे पीड़ित कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने और उन्हें स्पीकिंग आर्डर के जरिए तय करने के संबंध में विभागों को निर्देश दें। जिससे पहले से ही मुकदमों के भार से दबी कोर्ट में अनावश्यक केस नहीं आएं। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पवन मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि, राज्य सरकार ने पीड़ित कर्मचारियों के अभ्यावेदन तय नहीं करने का रिवाज़ बना लिया है। जबकि, यदि तय समय में कर्मचारियों के अभ्यावेदन निस्तारित होंगे तो उनका सरकार के प्रति भरोसा बढेगा और अधिकरण व कोर्ट में मुकदमेबाजी पर खर्च होने वाले भारी बजट में भी कमी हो सकेगी। अदालत ने आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और विधि सचिव को भिजवाते हुए उन्हें आदेश की पालना कराने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि, वह याचिकाकर्ता कर्मचारी के लंबित अभ्यावेदन को एक माह में तय करे।

मामले से जुडे अधिवक्ता अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने बताया कि, याचिकाकर्ता सचिवालय में लिपिक ग्रेड-प्रथम के पद पर कार्यरत था। एक आपराधिक केस के चलते कार्मिक विभाग ने 24 फरवरी 2023 को आदेश जारी कर उसे निलंबित कर दिया। ऐसे में याचिकाकर्ता ने निलंबन समाप्त करने और उसे सेवा परिलाभ सहित बहाल करने के लिए 23 अगस्त, 2023 को विभाग में अभ्यावेदन किया, लेकिन पांच माह बीतने के बाद भी उसका अभ्यावेदन तय नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अभ्यावेदन तय नहीं करने की एक नियमित प्रथा बना ली है। ऐसे में वे न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए उसके अभ्यावेदन को तय करने के निर्देश देते हुए उसे सेवा परिलाभ दिलाया जाए।

'तमिल सुपरस्टार की राजनीति में एंट्री भाजपा ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समय दोनों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गयी थी, जबकि विजय अभी 40 के आस-पास है तथा अपने फिल्मी करियर और लोकप्रियता के चरम पर हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते है कि विजय युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन क्या ये लोकप्रियता उनके प्रशंसकों की राजनीतिक सोच को प्रभावित कर सकती है? प्रोफेसर मणिवन्नन ने कहा कि, राजनीति केवल "फैन क्लब" से नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। "उन्होंने आगे कहा कि निश्चित तौर पर विजय का राजनीति में प्रवेश द्रमुक और अन्नाद्रमुक के लिए चिंता का विषय है।

रिकॉर्ड के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विजय के राजनीति में प्रवेश करने का स्वागत किया तथा उन्हें अपनी इस नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। विजय ने कहा कि राजनीति कोई "टाईमपास" गतिविधि नहीं है, मैं समर्पित और निःस्वार्थ राजनीति करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी सभी अधूरी "फिल्म्स" पूरी करके वर्ष 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी राजनीतिक यात्रा शुरु करेंगे। द्रमुक के प्रवक्ता, टी.के.एस. एलनगोवन तथा मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विजय का राजनीति में स्वागत किया और कहा कि हर किसी को अपना दल गठित करने का अधिकार है तथा हम किसी को नहीं रोक सकते, संविधान इसकी अनुमति देता है, इसलिए हम और कुछ नहीं कह सकते है।

लेकिन एलनगोवन ने हैरानी जताई कि वह एक पार्टी क्यों शुरु कर रहे है तथा वह किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह अपनी नीतियों और विचारधारा को सामने रखेंगे तभी हम उचित मूल्यांकन कर सकते हैं।

दूसरे द्रविड़ दल, अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता और नेता डी. जयकुमार ने विजय के राजनीति में प्रवेश को महत्वहीन कहते हुए खारिज कर दिया और कहा कि विजय का राजनीति में आना अन्नाद्रमुक जिसका आधार मजबूत है, पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालेगा। राजनीति में जनता निर्णायक होती है और अन्नाद्रमुक को विजय या उसकी राजनीति की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

भाजपा राज्य इकाई के प्रमुख के. अन्नामलाई ने खुशी के साथ विजय का राजनीति में स्वागत किया और एक बयान में कहा कि मैं अभिनेता विजय को बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ जिन्होंने एक नये दल "तमिझागा वेत्रि कषघम" का गठन, तमिलनाडु के लोगों का शोषण करने वाली भ्रष्ट राजनीति के विरूद्ध और गैर पक्षतापूर्ण, ईमानदार और राजनीतिक बदलाव के लिए किया है।

वरिष्ठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शाहीन अली खान, अजय असवाल, गौरव बजाड़, गोपाल सिंह और सावन कुमार चायल को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा है।

जस्टिस एम.एम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्रीवास्तव के नाम की अनुशंसा की थी। इसके अलावा जस्टिस विजय विश्नोई को गोहाटी हाईकोर्ट व जस्टिस अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट का सी.जे. बनाए जाने की भी अनुशंसा की थी। राजस्थान हाईकोर्ट में सी.जे. का पद पूर्व सी.जे. जस्टिस ए.जी. मसीह के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के बाद से खाली चल रहा था और श्रीवास्तव ही एक्टिंग सी.जे. का कार्यभार संभाल रहे थे। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव18 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर होकर नियुक्त हुए थे। वहीं जस्टिस विजय बिश्नोई व जस्टिस अरुण भंसाली को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर 8 जनवरी 2013 को नियुक्त किया गया था।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के एम.ओ.यू. पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी

केन्द्र सरकार की पहल पर राजस्थान के 13 जिलों की बहुप्रतीक्षित ई.आर.सी.पी. योजना का मार्ग प्रशस्त हुआ

■ उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ई.आर.सी.पी. के सम्बन्ध में दायर याचिका इस आधार पर निस्तारित कर दी है कि, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना पर त्रि-पक्षीय एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 2 फरवरी। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मध्य संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के लिए हुए एम.ओ.यू. पर मुहर लगा दी है। इससे राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतीक्षित पेयजल योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजैक्ट (ई.आर.सी.पी.) का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मध्यप्रदेश द्वारा ई.आर.सी.पी. के सम्बन्ध में दायर याचिका इस आधार पर निस्तारित कर दी कि, संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना पर त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय में प्रकरण निस्तारण हो जाने के उपरांत अब संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के लिए हुए एम.ओ.यू. को लागू किए जाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

ज्ञात रहे कि, पूर्व में राजस्थान सरकार के ई.आर.सी.पी. के प्रस्ताव को नकारते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वयं के हितों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज की थी, परन्तु केन्द्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डी.पी.आर. बनाने के लिए नई दिल्ली में 28 जनवरी 2024 को त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए और दोनों राज्यों के बीच में विवाद की स्थिति समाप्त हो गई। यह एम.ओ.यू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से ही संभव हो पाया। अब उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई.आर.सी.पी. के सम्बन्ध में दायर याचिका निस्तारित कर दी है।

केन्द्र सरकार ने 13 दिसम्बर 2022 को पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना को ई.आर.सी.पी. के साथ एकीकृत करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना हेतु अनुमोदन किया था। अब, 28, जनवरी, 2024 को हुए त्रिस्तरीय एम.ओ.यू. के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन एवं पूर्वनिर्मित 26 बांधों का पुनरूद्धार किया जाएगा।

ई.आर.सी.पी. के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य के 2.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस परियोजना से 13 जिलों के लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल एवं राज्य की लगभग 40 प्रतिशत आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी।

इस परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ई.आर.सी.पी. के तहत आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908